



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082026-275662
CG-DL-E-21082026-275662

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 686]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2026/श्रावण 30, 1948

No. 686]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2026/SHRAVAN 30, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2026

सं. 21/2026-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 752(अ).— सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित, केंद्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 47/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 26 अगस्त, 2021, जिसे सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 26 अगस्त, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 में, अंकों, अक्षरों और शब्द “25 नवंबर, 2026” के स्थान पर अंकों, अक्षरों और शब्द “25 फरवरी, 2027” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/20/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट: प्रमुख अधिसूचना सं. 47/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 26 अगस्त, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 26 अगस्त, 2021 के तहत प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 09/2026-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 22 मई, 2026, जिसे सा.का.नि. 387(अ), दिनांक 22 मई, 2026 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2026

No. 21/2026-Customs (ADD)

G.S.R. 752(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 47/2021-Customs (ADD), dated the 26th August, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 590(E), dated the 26th August, 2021, namely:-

In the said notification, in paragraph 3, for the figures, letters and word “25th November, 2026”, the figures, letters and word “25th February, 2027” shall be substituted.

[F. No. CBIC-190349/20/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 47/2021-Customs (ADD), dated the 26th August, 2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 590(E), dated the 26th August, 2021 and was last amended *vide* notification No. 09/2026-Customs (ADD), dated the 22nd May, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 387(E), dated the 22nd May, 2026.